भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6081

1 अप्रैल, 2026 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लीकेज

6081. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में लीकेज (अनाज की हानि) से संबंधित नवीनतम आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा की गई पहलों के कारण विगत वर्षों के दौरान लीकेज में कोई कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ई-गवर्नेस उपकरण और प्रौद्योगिकी लीकेज को कम करने में किस प्रकार सहायता कर रहे हैं;

(घ) क्या लक्षित व्यक्तियों को अनाज की एक स्थान से दूसरे स्थान तक डिलीवरी सुनिश्चित करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य में की गई पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में खाद्यान्न की लीकेज (खाद्यान्न की हानि) से संबंधित कोई विशिष्ट आंकड़े विभाग के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से **(ङ):** सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के प्रौद्योगिकी-आधारित आधुनिकीकरण के अंतर्गत, दक्षता में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाने और खाद्यान्न की लीकेज को कम करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (महाराष्ट्र सहित) में विभिन्न सुधार लागू किए गए हैं। विवरण इस प्रकार हैं:

- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्ड/लाभार्थी डाटाबेस का पूर्णतः डिजिटलीकरण (100%) कर दिया गया है। 99.7% राशन कार्ड आधार से जोड़ दिए गए हैं।
- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर लागू किए गए हैं।

...2/-

- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऑनलाइन आबंटन लागू किया गया है और 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, पुदुचेरी और दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों को छोड़कर, जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण योजना अपनाई है) में आपूर्ति श्रृंखला का कंप्यूटरीकरण किया गया है।

- राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबलिटी, जिसे लोकप्रिय रूप से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के नाम से जाना जाता है, सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के सभी लाभार्थी शामिल हैं। आज तक, ओएनओआरसी के तहत 207 करोड़ से अधिक पोर्टेबलिटी लेनदेन दर्ज किए गए हैं।

- देश में कुल 5.51 लाख उचित दर की दुकानों (एफपीएस) में से 5.50 लाख से अधिक (99.8%) उचित दर दुकानों को लाभार्थियों के आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण के लिए ई-पीओएस उपकरण स्थापित करके स्वचालित कर दिया गया है।
